

प्रेषक,

मनोज कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,

वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 19मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पत्रांक/निर्माण विभाग 1359/19, दिनांक 31.01.2019 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-754/70-4-2014-5(3)/2009, दिनांक 06.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार के लिए निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 45,01,000 (रूपये पैतालीस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासनादेश संख्या-754/सत्तर-4-2014-5(3)/2009, दिनांक 06.07.2015 में उल्लिखित अन्य शर्तें आदि यथावत रहेंगी।
3. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का सम्यक परीक्षण कराया जाएगा तथा कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-11-संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जाएगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छाटां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. परियोजना प्रबंधक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज, नई दिल्ली। द्वारा कुलसचिव, संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।